दिनांक 13–14 जून, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति की पूर्व सूचना निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्व करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8 तारीख तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इसके साथ सभी लंबित प्रतिवेदनों को दिनांक–02.06.2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

3. <u>स्थापना</u> :–

(i) विधान सभा के तारांकित समिति के प्रश्न के आलोक में SC/ST पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सभी प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त हो गयी है। इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों जिनका ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. लंबित है की सूची शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(iii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास की मांग की गयी थी। परंतु विहित प्रपत्र में उक्त सूचना अधिकांश कार्यालयों से लंबित है। निदेशानुसार निदेशालय के स्थापना शाखा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अगली माह के 8वीं तारीख तक सभी पदाधिकारियां एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– स्थापना शाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य–ब्योरा प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०

4. बजट :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्षवार आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय एवं प्रत्यार्पण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) उपशीर्ष, जिसके अन्तर्गत वेतन आदि का भुगतान किया जाता है, में बहुत से जिलों के द्वारा वेतन आदि के अलावे यात्रा भत्ता, वाहन इंधन एवं कार्यालय व्यय मद में काफी राशि प्रत्यार्पित कर दी गई, जबकि कई जिलों में राशि के अभाव में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका। उक्त निदेश के बावजूद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रैल एवं मई के व्यय विवरणी से स्पष्ट है कि कई कार्यालयों के द्वारा मार्च एवं अप्रैल के वेतन आदि का भुगतान/निकासी नहीं किया गया।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान नियत समय पर नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ii)

क. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं इसके पूर्व निकासी की गई राशि जिसका व्यय/वितरण दिनांक–31.03.2018 तक संभव नहीं हो सका है तो इस राशि को संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा करने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा कर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, रब्बी मौसम के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निकासी की गयी राशि को छोड़कर शेष राशि जमा शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया था। इससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन एवं अद्यतन संधारित रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

ख. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आर्थिक गणना एवं लघु सिंचाई गणना मद की जो राशि निकासी कर बैंक खातों में रखी गयी थी एवं जिसका व्यय 31.03.2018 तक संभव नहीं होने के कारण संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा कर दी गयी है इससे संबंधित प्रतिवेदन ट्रेजरी चालान की सत्यापित प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया से अप्रैल एवं मई तथा प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), सारण, भागलपुर एवं मुंगेर तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से मई 2018 का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त सभी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरणी अगले माह के 8वीं तारीख तक T.V No. एवं तिथि के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह का व्यय विवरणी अगली माह की 8वीं तारीख तक उपलब्ध नहीं कराने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन–संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सां०पदा०/बजट शाखा, निदेशालय

(iv) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया। AC विपत्र के संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि अगर उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करा लें।

अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना

(v) निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विगत वर्षो में समर्पित DC विपत्रों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु माहालेखाकार कार्यालय के भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र का अनुपालन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, मधुबनी, किशनगंज, शेखपुरा एवं पूर्वी चम्पारण से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति से संबंधी पत्र जो महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है के आलोक में विगत पाँच वर्षो से लंबित आपत्तियों का निराकरण यथाशीघ्र करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को प्रेषित कर उसकी प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेगें। साथ ही निदेश दिया गया कि यदि प्रेषित लेखा परीक्षा आपत्ति आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र कोषागार से प्राप्त कर उसकी प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा

(vi) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद, वैशाली एवं मधुबनी के यहाँ काफी समय से अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि जिला के किसी प्रखडों/अंचलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है तो इसकी सूचना तुरंत निदेशालय को दी जाय ताकि निदेशालय स्तर से संबंधित जिला पदाधिकारी को ततसंबंधी पत्र देकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सके।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा

(vii) छठी आर्थिक गणना में लभ्य करायी गयी राशि में से अव्यवहृत राशि को जमा करने का निदेश दिया गया था। यदि उक्त राशि जमा कर दी गयी हो तो उसके टेजरी चालान की छाया प्रति लभ्य कराने का निदेश दिया गया तथा प्रत्यार्पित राशि का मदवार विवरण ई–मेल के माध्यम से दो दिन के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं आर्थिक गणना प्रशाखा

(viii) पाँचवी लघु सिंचाई गणना का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अवशेष राशि के जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की छाया प्रति पाँच दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं लघु सिंचाई गणना प्रशाखा

5. <u>कृषिः–</u>

(i) रब्बी मौसम में बीमित फसल गेहूँ , चना, मसूर, मकई एवं ईख के फसल कटनी प्रयोग की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों द्वारा शत् प्रतिशत तथा कुछ जिलों द्वारा आंशिक रूप से फसल कटनी प्रयोग का प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा गया है। बीमित फसलों का उपज दर संबंधित बीमा कम्पनी को भेजने का अंतिम तिथि 30.06.2018 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन फसलों से संबंधित लंबित प्रतिवेदन दिनांक 25.06.2018 तक निदेशालय को अचूक रूप से लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) भदई जिंसवार जमुई, बांका एवं अररिया जिलें से लंबित है। अगहनी जिंसवार पटना, जहानाबाद, जमुई, बांका एवं अररिया जिलों से लंबित है। जबकि रब्बी जिंसवार पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नवादा, गोपालगंज, मुजफ्परपुर, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया जिलों से लंबित है। कृषि सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रतिवेदन यथा–फसल कटनी प्रयोग, जिन्सवार, प्रक्षेत्र मूल्य, भूमि उपयोग विवरणी एवं फसल सांख्यिकी सुधार से संबंधित प्रतिवेदन के लंबित सूची के आधार पर समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रतिवेदनों को शीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी